

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 16/06/2020

क्रमांक एफ- 3-36/2020/18-5:- राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ-3-130/32/97 दिनांक 20/01/1998 आदेश क्रमांक एफ-3-55/32/98 दिनांक 12/08/1998 एवं आदेश क्रमांक एफ-3-130/32/97 दिनांक 2 मई 2000 क्रमांक एफ-3-45/32/2010 दिनांक 13/04/2010 के द्वारा अनुमोदित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संभागायुक्त/कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति को एतद द्वारा निम्नानुसार संशोधित किया जाता है।

1	संभागीय मुख्यालय के नगरों हेतु संबंधित संभागायुक्त तथा जिला मुख्यालय एवं अन्य नगरों हेतु संबंधित कलेक्टर	अध्यक्ष
2	संभागीय मुख्यालय के नगर हेतु संबंधित जिले के कलेक्टर	सदस्य
3	सांसद, संबंधित क्षेत्र	सदस्य
4	अध्यक्ष, संबंधित विकास प्राधिकरण	सदस्य
5	अध्यक्ष, संबंधित जिला पंचायत	सदस्य
6	महापौर, संबंधित नगर पालिक निगम	सदस्य
7	निवेश क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधान क्षेत्रों के विधायक	सदस्य
8	अध्यक्ष, संबंधित नगर पालिका परिषद	सदस्य
9	अध्यक्ष, संबंधित नगर परिषद	सदस्य
10	म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, का उपायुक्त/ कार्यपालन यंत्री	सदस्य
11	संबंधित आयुक्त, नगर पालिक निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/ नगर परिषद	सदस्य
12	लोक निर्माण विभाग का संबंधित अधीक्षण यंत्री/ कार्यपालन यंत्री	सदस्य
13	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अधीक्षण यंत्री/ कार्यपालन यंत्री	सदस्य
14	म.प्र. विद्युत मण्डल का संबंधित अधीक्षण यंत्री/ कार्यपालन यंत्री	सदस्य
15	संबंधित प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी	सदस्य
16	संयुक्त संचालक/ उप संचालक/ सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय	सदस्य
	(अ) इस समिति की बैठक प्रत्येक छह माह में आयोजित किया जाना अनिवार्य होगा। (ब) सदस्य सचिव, विकास योजना के विभिन्न घटकों की प्राथमिकता का संधारण/ निर्धारण कर वार्षिक योजना, समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। (स) क्रियान्वयन संस्थाएं, अपना वार्षिक बजट समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजना के आधार पर तैयार करेगी।	

M. E. C. A. 2020

Indy
23/06/2020

Dhara-17-k

संचालनालय
नगर विकास एवं आवास निवेश
आवक क्र. 267
दिनांक 19/06/20
शाखा.....
संयु. संचा. (स्था.) आयुक्त

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(डॉ. शुभाशीष बैनर्जी)

उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

15/6/2020